वाराणसी पुलिस : आपकी अपनी पुलिस

कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी

फ़ोन + 91-542-2502655/2502644, फैक्स-91-542-2501450, ईमेल-sspvns-up@nic.in, Facebook-policevaranasi

संख्या: पीआरओ 78/2020 दिनांक: अक्टूबर, 14/2020

प्रेस नोट

आज दिनांक 14.10.2020 को थाना रोहनियां के उ0नि0 धीरेन्द्र तिवारी द्वारा मय हमराह पुलिस बल के देखभाल क्षेत्र, चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन के दौरान मु0अ0सं0-17/20 धारा-363/366/368 भादवि व 7/8 पाक्सो एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त सुभाष राजभर पुत्र सीकेदार निवासी बच्छाव थाना रोहनियां वाराणसी को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया गया। सुभाष की निशादेही पर उक्त मुकदमें से सम्बन्धित एक अन्य अभियुक्त दिनेश राजभर पुत्र लल्लू राजभर निवासी नगवा थाना लंका वाराणसी को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया गया। उक्त घटना के सम्बन्ध में थाना रोहनियां पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण:-

1- सुभाष राजभर पुत्र सीकेदार निवासी बच्छाव थाना रोहनिया वाराणसी उम्र करीब 50 वर्ष।

2- दिनेश राजभर पुत्र लल्लू राजभर निवासी नगवा थाना लंका वाराणसी उम्र करीब 30 वर्ष।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- प्रभारी निरीक्षक परशुराम त्रिपाठी, उ0नि0 धीरेन्द्र तिवारी, उ0नि0 मनोज कोरी, का0 धर्मेन्द्र यादव व का0 मनीष कन्नौजिया थाना रोहनियां जनपद वाराणसी।

प्रभारी निरीक्षक
सोशल मीडिया सेल
जनपद वाराणसी।

वाराणसी पुलिस : आपकी अपनी पुलिस

कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी

फ़ोन + 91-542-2502655/2502644, फैक्स-91-542-2501450, ईमेल-sspvns-up@nic.in, Facebook-policevaranasi

संख्या: पीआरओ 79/2020 दिनांक: अक्टूबर, 14/2020

प्रेस नोट

आज दिनांक 14.10.2020 को थाना रोहनियां के उ0नि0 अजय यादव मय हमराह पुलिस बल के देखभाल क्षेत्र, चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन में थाना क्षेत्र में मौजूद थे, इसी दौरान जरिये मुखबिर सूचना मिली कि मु0अ0सं0-556/2019 धारा-419/420/467/468/471/120बी भादवि में वांछित अभियुक्तगण महंगू पुत्र पुरुषोत्तम निवासी बच्छाव थाना रोहनियां वाराणसी व अमरनाथ पुत्र खुड़बुड़ निवासी नुआव थाना लंका वाराणसी, बच्छाव बाजार तिराहे पर खडे है, यदि जल्दी किया जाये तो पकडे जा सकते है। मुखबिर द्वारा प्राप्त सूचना पर विश्वास कर उ0नि0 द्वारा मय हमराह पुलिस बल के बच्छाव तिराहे पर पहुँचकर मुखबिर की निशादेही पर अभियुक्तगण उपरोक्त को गिरफ्तार कर लिया गया। उक्त घटना के सम्बन्ध में थाना रोहनियां पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण:-

1. महगू पुत्र पुरुषोत्तम निवासी बच्छाव थाना रोहनिया वाराणसी उम्र करीब 55 वर्ष।
2. अमरनाथ पुत्र खड़बुड़ निवासी नुआब थाना लंका वाराणसी उम्र करीब 65 वर्ष।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- प्रभारी निरीक्षक परशुराम त्रिपाठी, उ0नि0 अजय कुमार यादव, का0 लवकुश व का0 अजय तिवारी थाना रोहनियां, वाराणसी।

प्रभारी निरीक्षक
सोशल मीडिया सेल
जनपद वाराणसी।

वाराणसी पुलिस : आपकी अपनी पुलिस

कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी

फ़ोन + 91-542-2502655/2502644, फैक्स-91-542-2501450, ईमेल-sspvns-up@nic.in, Facebook-policevaranasi

संख्या: पीआरओ 80/2020 दिनांक: अक्टूबर, 14/2020

प्रेस नोट

आज दिनांक 14-10-2020 को प्रभारी निरीक्षक कैण्ट राकेश कुमार सिंह द्वारा मय हमराह पुलिस बल के देखभाल क्षेत्र, चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन के दौरान मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0-0212/2020 धारा-498A/323/506/377 भा0द0वि0 व 3/4 DP एक्ट में वांछित अभियुक्त राहुल सिंह पुत्र गणेश सिंह निवासी B-104 निकट लावन्या अस्पताल छतरपुर इन्वक्लेव नई दिल्ली को होटल वाराणसी इन सिगरा से गिरफ्तार कर लिया गया। उक्त घटना के सम्बन्ध में थाना कैण्ट पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

- राहुल सिंह पुत्र गणेश सिंह निवासी B-104 निकट लावन्या अस्पताल छतरपुर इन्वक्लेव नई दिल्ली।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- प्रभारी निरीक्षक कैण्ट राकेश कुमार सिंह, उ0नि0 वसीम उल्ला खां, का0 विपिन गुप्ता व का0 रामानन्द यादव थाना कैण्ट वाराणसी।

प्रभारी निरीक्षक
सोशल मीडिया सेल
जनपद वाराणसी।

वाराणसी पुलिस : आपकी अपनी पुलिस

कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी

फ़ोन + 91-542-2502655/2502644, फैक्स-91-542-2501450, ईमेल-sspvns-up@nic.in, Facebook-policevaranasi

संख्या: पीआरओ 81/2020 दिनांक: अक्टूबर, 14/2020

प्रेस नोट

आज दिनांक 14.10.2020 को थाना सारनाथ के उ0नि0 हर्षमणि तिवारी मय हमराह पुलिस बल के देखभाल क्षेत्र, चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन में थाना क्षेत्र में मौजूद थे कि जरिये मुखबिर सूचना मिली कि मु0अ0सं0-587/2020 धारा-354/354क/354ख/323 भादवि व 7/8 पाक्सो एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त पिण्टू कुमार कोटवां चौराहे पर खड़ा है जल्दी किया जाय तो पकड़ा जा सकता है। मुखबिर द्वारा प्राप्त सूचना पर विश्वास कर उ0नि0 द्वारा मय हमराह पुलिस बल के कोटवां चौराहे पर पहुँचकर अभियुक्त पिण्टू कुमार उपरोक्त को समय 10.30 बजे गिरफ्तार कर लिया गया। उक्त घटना के सम्बन्ध में थाना सारनाथ पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

- पिण्टू कुमार पुत्र मँहगू निवासी कोटवा थाना सारनाथ जनपद वाराणसी उम्र 24 वर्ष।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- उ0नि0 हर्षमणि तिवारी व का0 मिथुन कुमार थाना सारनाथ वाराणसी ।

प्रभारी निरीक्षक
सोशल मीडिया सेल
जनपद वाराणसी।

वाराणसी पुलिस : आपकी अपनी पुलिस

कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी

फ़ोन + 91-542-2502655/2502644, फैक्स-91-542-2501450, ईमेल-sspvns-up@nic.in, Facebook-policevaranasi

संख्या: पीआरओ 82/2020 दिनांक: अक्टूबर, 14/2020

प्रेस नोट

थाना रामनगर पुलिस द्वारा गैंगेस्टर के अभियुक्त सुनील यादव द्वारा आपराधिक कृत्यों से अर्जित धन से क्रय की गयी मोटरसाइकिल कीमत रु0-35,000/- की गैंगेस्टर एक्ट की धारा-14(1) के अन्तर्गत जब्तीकरण की कार्यवाही की गयी।

थाना कोतवाली, वाराणसी में पंजीकृत मु0अ0सं0 73/2020 धारा-3(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधि0 1986 से संबंधित अभियुक्त सुनील यादव पुत्र स्व0 शम्भूनाथ यादव निवासी म0नं0 47/255 कतुआपुरा थाना कोतवाली वाराणसी एक शातिर किस्म का अपराधी है। अभियुक्त उपरोक्त अपराध जगत में सक्रिय रहकर अपने तथा अपने गैंग के सदस्यों को आर्थिक एवं भौतिक लाभ पहुँचाने का कार्य करता है। सुनील यादव द्वारा आपराधिक कृत्यो से अर्जित धनराशि से एक मोटरसाइकिल अवेन्जर संख्याः यूपी-65 सीपी-3766 कीमत रु0-35,000/- को क्रय किया गया। जिलाधिकारी वाराणसी द्वारा उक्त सम्पत्ति को कुर्क करने सम्बन्धी निर्गत आदेश के अनुपालन में दिनाँक 13.10.2020 को प्रभारी निरीक्षक रामनगर नरेश कुमार सिंह द्वारा मय हमराह पुलिस बल के उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधि0 1986 की 14(1) की शक्तियों का प्रयोग करते हुए अभियुक्त सुनील यादव उपरोक्त की मोटरसाइकिल अवेन्जर जिसकी कीमत रु0-35,000/- है, की गवाहों के समक्ष डुगडुगी पिटवाकर जब्तीकरण की कार्यवाही की गयी।

पंजीकृत अभियोग:-

- मु0अ0सं0 73/20 धारा 3(1) उ0प्र0 गिरोह बन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधि0 1986 थाना कोतवाली वाराणसी

वाहन कुर्क करने वाली पुलिस टीम:-

- प्रभारी निरीक्षक रामनगर नरेश कुमार सिंह, व0उ0नि0 विजय कुमार यादव, हे0का0 प्यारेलाल, का0 अरविन्द कुमार गोड़ व का0 मदन सेन- थाना रामनगर, वाराणसी।

प्रभारी निरीक्षक
सोशल मीडिया सेल
जनपद वाराणसी।

वाराणसी पुलिस : आपकी अपनी पुलिस

कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी

फ़ोन + 91-542-2502655/2502644, फैक्स-91-542-2501450, ईमेल-sspvns-up@nic.in, Facebook-policevaranasi

संख्या: पीआरओ 83/2020 दिनांक: अक्टूबर, 14/2020

प्रेस नोट

आज दिनांक 14-10-2020 को थाना चौबेपुर के उ0नि0 संजय यादव मय हमराह पुलिस बल के देखभाल क्षेत्र, चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन में थाना क्षेत्र में मौजूद थे कि जरिये मुखबिर सूचना मिली कि मु0अ0सं0 0116/2020 धारा 376/506 भादवि से सम्बन्धित अभियुक्त बुलबुल उर्फ विनोद यादव पुत्र धर्मराज यादव निवासी ग्राम जाल्हूपुर थाना चौबेपुर जनपद वाराणसी, कच्चा बाबा इण्टर कालेज के पास खड़ा है, जल्दी किया जाय तो पकड़ा जा करता है। मुखबिर द्वारा प्राप्त सूचना पर विश्वास कर उ0नि0 द्वारा मय हमराह पुलिस बल के जाल्हूपुर कच्चा बाबा इण्टर कालेज के पास पहुँचकर मुखबिर की निशादेही पर अभियुक्त बुलबुल उर्फ विनोद यादव उपरोक्त को समय करीब 13.50 बजे गिरफ्तार कर लिया गया। उक्त घटना के सम्बन्ध में थाना चौबेपुर पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. बुलबुल उर्फ विनोद यादव पुत्र धर्मराज यादव निवासी ग्राम जाल्हूपुर थाना चौबेपुर जनपद वाराणसी उम्र-23 वर्ष।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- उ0नि0 संजय यादव व उ0नि0 राहुल मौर्या थाना चौबेपुर जनपद वाराणसी।

प्रभारी निरीक्षक
सोशल मीडिया सेल
जनपद वाराणसी।

वाराणसी पुलिस : आपकी अपनी पुलिस

कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी

फ़ोन + 91-542-2502655/2502644, फैक्स-91-542-2501450, ईमेल-sspvns-up@nic.in, Facebook-policevaranasi

संख्या: पीआरओ 84/2020 दिनांक: अक्टूबर, 14/2020

प्रेस नोट

पुलिस कस्टडी रिमाण्ड में लिये गये अभियुक्त दिनेश सिंह उर्फ सोनू सोनार की निशानदेही पर दिनांक 31-08-2020 को लक्सा क्षेत्र से लूटी गयी सोने की दोनों चेन बरामद।

दिनांक 31-08-2020 को थाना क्षेत्र लक्सा में सोने की चेन लूटने की घटित दो अलग-अलग घटनाओं में थाना लक्सा में पजीकृत मु0अ0सं0-66/2020 धारा-392 भादवि व मु0अ0सं0-68/2020 धारा-392 भादवि में दिनांक 08-10-2020 को दिनेश सिंह उर्फ सोनू सोनार पुत्र अमर सिंह निवासी बी 13/27 ए सोनरपुरा थाना भेलूपुर वाराणसी को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था।

आज दिनांक 14-10-2020 को थाना लक्सा पुलिस द्वारा अभियुक्त दिनेश सिंह उर्फ सोनू सोनार का मा0 न्यायालय ए0सी0जे0एम0-पंचम से 12 घण्टे का पुलिस कस्टडी रिमाण्ड प्राप्त किया गया। अभियुक्त दिनेश सिंह उर्फ सोनू सोनार की निशानदेही पर लूट की दोनो घटनाओं में सह अभियुक्त रहे संजय हरिजन पुत्र विमल उर्फ विजय निवासी ग्राम पहाड़ी, डीएलडब्लू थाना मण्डुवाडीह वाराणसी के घर से आंगन में लगे पेड़ के नीचे खोदकर छिपाई गयी दोनो सोने की चेन को अथक परिश्रम के बाद बरामद किया गया। उपरोक्त दोनो मुकदमों के वादियों द्वारा अपनी लूटी गयी चेन की पहचान की गयी व पुलिस टीम को धन्यवाद दिया गया है।

प्रभारी निरीक्षक
सोशल मीडिया सेल
जनपद वाराणसी।

वाराणसी पुलिस : आपकी अपनी पुलिस
कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी
फ़ोन + 91-542-2502655/2502644, फैक्स-91-542-2501450, ईमेल-sspvns-up@nic.in, Facebook-policevaranasi

संख्या: पीआरओ 85/2020 दिनांक: अक्टूबर, 14/2020

प्रेस नोट

आज दिनांक 14.10.2020 को थाना रोहनिया पुलिस द्वारा मु0अ0सं0-388/20 धारा 302/201/404/34 भादवि से सम्बन्धित अभियुक्तगण जितेन्द्र कुमार पुत्र छब्बू राम हरिजन निवासी ऊचगाँव थाना लोहता वाराणसी व सुजीत पटेल पुत्र वंशराज निवासी गांगकला थाना बड़ागाँव वाराणसी का मा0 न्यायालय से पुलिस कस्टडी रिमाण्ड प्राप्त कर हत्या में प्रयुक्त चाकू बरामद किया गया।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 23.09.2020 को चालक परविन्द्र सिंह उर्फ मेन्टल निवासी देरेखू थाना रोहनिया वाराणसी को अज्ञात व्यक्तियों द्वारा अर्टिगा कार बुक कराकर मर्जापुर के जंगल में हत्या करके लाश को क्षत विक्षप्त स्थिति में फेक दिया गया था, जिसके सम्बन्ध में थाना रोहनियां में चालक परविन्द्र सिंह की पत्नी की तहरीर पर मु0अ0सं0 388/20 धारा 302/201 भादवि बनाम अज्ञात पंजीकृत कराया गया। दिनांक 01.10.2020 को थाना रोहनियां पुलिस द्वारा मुकदमा उपरोक्त में प्रकाश में आये अभियुक्तगण गुड्डु उर्फ जगनायक सिंह, नीरज कुमार गौतम व पवन कुमार गौतम को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा गया है। हत्या कुल 06 अभियुक्तों द्वारा कारित की गयी थी। अभियुक्त सुजीत पटेल व जितेन्द्र कुमार द्वारा दिनांक 07.10.2020 को माननीय न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण किया गया। आज दिनांक 14-10-2020 को माननीय न्यायालय सीजेएम वाराणसी द्वारा सुजीत व जितेन्द्र उपरोक्त का प्रातः 09.00 बजे से सायं 17.00 बजे तक का पुलिस कस्टडी रिमाण्ड स्वीकृत किया गया। अभियुक्तगणों की निशादेही पर रामेश्वर पुल के आगे झाड़ियों में से हत्या में प्रयुक्त चाकू बरामद किया गया। उक्त के सम्बन्ध में थाना रोहनियां में मु0अ0सं0-425/20 धारा-4/25/27 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया है।

प्रभारी निरीक्षक
सोशल मीडिया सेल

जनपद वाराणसी।

वाराणसी पुलिस : आपकी अपनी पुलिस

कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी

फ़ोन + 91-542-2502655/2502644, फैक्स-91-542-2501450, ईमेल-sspvns-up@nic.in, Facebook-policevaranasi

संख्या: पीआरओ 86/2020 दिनांक: अक्टूबर, 14/2020

प्रेस नोट

जनपद वाराणसी में कोविड-19 महामारी से बचाव हेतु जारी आदेशों के अनुपालन के क्रम में वाराणसी पुलिस द्वारा विभिन्न थाना क्षेत्रों में अनावश्यक घूम रहे, गैर जरुरी तौर से होटल/गेस्ट हाऊस/दुकानें खुली रखने वाले संचालकों, कालाबाजारी करने वालों व राज्य सरकार द्वारा जारी गाईड लाईन से सम्बन्धित नियमों की अवहेलना करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध सख्ती बरतते हुए आज दिनांक 14-10-2020 को विभिन्न थानों द्वारा कार्यवाही करते हुए *कुल 26 व्यक्तियों के विरुद्ध धारा-151 सीआरपीसी* के अन्तर्गत निरोधात्मक कार्यवाही करते हुए गिरफ्तार किया गया तथा *58 व्यक्तियों के विरुद्ध धारा-188 चालानी रिपोर्ट व धारा-51 आपदा प्रबन्ध अधिनियम* के अन्तर्गत कार्यवाही की गयी। जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों, 14 बार्डर प्वाइंट व 49 पुलिस नाकों पर सघन चेकिंग अभियान चलाते हुए *कुल 1677 वाहनों का चालान, 09 वाहनों को सीज तथा 321 वाहनों से रु0-2,63,100/- समन शुल्क वसूल* किया गया।

जनपद वाराणसी में कोविड-19 महामारी से बचाव हेतु जारी आदेशों के अनुपालन के क्रम में वाराणसी पुलिस द्वारा विभिन्न थाना क्षेत्रों में अनावश्यक घूम रहे, व्यक्तियों के विरुद्ध सख्ती बरतते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी के आदेशानुसार आज दिनांक 14-10-2020 को जनपद वाराणसी राज्य सरकार द्वारा जारी गाईड लाईन से सम्बन्धित नियमों का उल्लंघन करने वाले तथा बिना मास्क पहने घूम रहे व्यक्तियों के विरूद्ध अभियान चलाकर बिना मास्क धारण किये *कुल 1662 व्यक्तियों से रु0-67,400/- जुर्माना* जमा कराया गया।

प्रभारी निरीक्षक
सोशल मीडिया सेल
जनपद वाराणसी।